मध्य प्रदेश शासन
आयुर्विभाग,
बल्लभ मंडल कमांड-3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 09/09/2019

कमांड 2866/2538/2019/1/59, राज्य शासन एवं शिक्षा, डॉ. पंकज कुमार वानखडे, आयुर्विभाग चिकित्सा अधिकारी, शासकीय स्वस्थानी आयुर्विभाग महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बुछानपुर की दिनांक 15.09.19 र 19.09.19 तक 05 दिवस निजी यात्रा पर मास्कों (स्वस्थ) की विदेश यात्रा हेतु अनुमति निर्मलिपित शर्तों के अधीन प्रदान करता है।

1- विदेश यात्रा स्वयं के व्यय पर करेंगे तथा इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त राशि की मांग नहीं करेंगे।
2- विदेश यात्रा के पूर्व स्वस्थता रूप से अधिकारिक स्वीकृत रूप से शासन का अनुरोध होगा।
3- विदेश में वीमार पदने पर स्वयं के व्यय पर इस्तेज कराना होगा, राज्य शासन द्वारा किसी व्यक्ति को चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
4- विदेश यात्रा की अवधि ने किसी नौकरी, साक्षात्कार, व्यवसाय आदि में भाग नहीं लेंगे।
5- विदेश यात्रा की अवधि ने निजी प्रवेशितिक नहीं करेंगे एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जो देश द्वि विदेश की गरिशा एवं अनुचितता के दिरुख हो।
6- विदेश ने अपना आचरण शासकीयतापूर्वक बनाये रखें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

(स्वगता उपक) 09-09-19
अधिकारी

कमांड 2867 /2538/2019/1/59

प्रतिस्पर्धा:-
1- विदेश व्यायाम, माननीय कर्मी, आयुर्विभाग भोपाल।
2- निज सचिव, अयोद्धा निज सचिव, न.प.शासन, आयुर्विभाग भोपाल।
3- आयुर्विभाग, अयोध्या संचालनालय भोपाल।
4- पंकज कुमार वानखडे, आयुर्विभाग चिकित्सा अधिकारी, शासकीय स्वस्थानी आयुर्विभाग महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बुछानपुर।
5- अधिकारी, इंदौर संभाग इंदौर।
6- जिला आयुर्विभाग स्वस्थानी, जिला बुछानपुर।
7- आयुर्विभाग, शासकीय स्वस्थानी आयुर्विभाग महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बुछानपुर।
8- मध्यप्रदेश चिकित्सा अधिकारी, शासकीय स्वस्थानी आयुर्विभाग महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बुछानपुर।
9- स्वस्थानी निषेधक/आयुर्विभाग।
की ओर सुविधाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(स्वगता उपक) 09-09-19
अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन, आयुर्विभाग